उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-121/2015/1218/71-1-2015-जी-97/2015
लखनऊ : दिनांक 23 जून, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, मेरठ तथा अम्बेडकर नगर में रिक्त सहआचार्य तथा प्रवक्ता के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/1087, दिनॉक 10-06-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 04 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

5- संविदा पर तैनात किये गये संबंधित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-121/2015/1218(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ तथा अम्बेडकर नगर।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ तथा अम्बेडकर नगर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ तथा अम्बेडकर नगर।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ तथा अम्बेडकर नगर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-121/2015/1218/71-1-2015-जी-97/2015,

दिनॉक 23 जून, 2015 का संलग्नक

क्र0	विशिष्टता का नाम/पदनाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	तैनाती का स्थान
1	आब्स एण्ड गायनी (प्रवक्ता)	डा0 मोनिका कश्यप, पत्नी श्री अभिषेक पाल, पता-डी-324, शास्त्रीनगर, मेरठ।	अनुसूचित जाति	मेडिकल कालेज, मेरठ
2	डेन्टेस्ट्री (प्रवक्ता)	डा0 मनु शर्मा, पुत्र श्री रणवीर सिंह, पता-176, न्यू मोहनपुरी, मेरठ।	सामान्य	मेडिकल कालेज, मेरठ
3	फार्माकोलोजी (सहआचार्य)	डा0 सुयोग सिन्धू, पुत्र डा0 रवि प्रकाश भारद्वाज, पता-फ्लैट नं0-1302, ओ0सी0आर0 बिल्डिंग, ब्लाक-बी, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	सामान्य	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर
4	एनेस्थीसिया (प्रवक्ता)	डा0 संजीव कुमार, पुत्र श्री देव दीप शर्मा, पता-सीनियर रेजीडेन्ट, एम0आर0ए0, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।	सामान्य	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।